

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपयुक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर जिला सागर के अन्तर्गत वनमंडल उत्तर सागर के वन परिक्षेत्र खुरई के कक्ष क्रमांक PF 50 रकबा 5.05 हेक्टेयर तथा राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 179 रकबा 0.98 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 194 रकबा 0.23 हेक्टेयर कुल रकबा 6.26 हेक्टेयर वनभूमि सेवन जलाशय लघु सिंचाई योजना निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 26/10/15
स्थान: भोपाल

AR

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)

सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग